89

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-80/2014/आ.प्र./एक. भोपाल, दिनांक 27/03/2015

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश ।

2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश ।

विषय:-मोगिया, मोघ्या, मोंग्या, अनुसूचित जनजाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

*****

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 जो भारत का राजपत्र दिनांक 8 जनवरी 2003 में प्रकाशित है, से जारी मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर 'गौंड' जाति के साथ **'मोगिया'** (Mogia), **'मोघ्या'** (Moghya), **'मोंग्या'** (Monghya) संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप अधिसूचित है । अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी, अनुसूचित जाति की सूची में सरल क्रमांक 39 पर 'मोघिया' जाति संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित है । इस प्रकार **'मोगिया'** अनुसूचित जनजाति एवं 'मोघिया' अनुसूचित जाति दोनो पृथक-पृथक जातियां है जिन्हे सूचियों में यथावैधानिक स्थिति अनुसार लाभ पाने की पात्रता है ।

2/ 'मोगिया' जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल है । इस संबंध में संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी पत्र दिनांक 18-05-2007 व मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 20-02-2005 द्वारा संबंधितों को निर्देश दिए गए है, जो पुनः संलग्न हैं ।

--2--

C:\Users\admin\Desktop\mogya.doc

3. माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा रिट अपील क्रमांक 915, 916, 917/13, (दुलेसिंह एवं अन्य वि. राज्य) मे पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 मे 'मोगिया' को अनुसूचित जनजाति के रूप मे मान्य करने का निर्णय पारित किया गया है । चूंकि मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर 'गौंड' जाति के साथ 'मोगिया' संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है एवं अनुसूचित जाति की सूची मे सरल क्रमांक 39 पर 'मोघिया' जाति संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित है । अतः जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में जारी निर्देशों के तहत प्रकरणों का परीक्षण कर निराकृत करने का कष्ट करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 7-80 /2014/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 27 /03/2015

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव ,महामहिम राज्यपाल ,राजभवन ,मध्यप्रदेश ,भोपाल;
2. प्रमुख सचिव ,माननीय मुख्यमंत्रीजी ,मध्यप्रदेश शासन ,मंत्रालय ,भोपाल;
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी के निज सचिव/निज सहायक ,मध्यप्रदेश ,भोपाल;
4. प्रमुख सचिव, समन्वय (मुख्य सचिव कार्यालय) मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म०प्र ०शासन ,आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. अध्यक्ष ,मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष , मध्यप्रदेश / माध्यमिक शिक्षा मंडल ,भोपाल/सचिव ,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर;
7. महानिदेशक ,प्रशासन अकादमी ,मध्यप्रदेश ,भोपाल;
8. प्रमुख सचिव ,मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय ,भोपाल;
9. रजिस्ट्रार जनरल ,उच्च न्यायालय ,मध्यप्रदेश ,जबलपुर;
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल;

C:\Users\admin\Desktop\mogiya.doc

11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव ,राज्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल;
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश ,जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर;
13. महालेखाकार ,मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल;
14. निदेशक ,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ,क्षेत्रीय कार्यालय ,कमरा नं. 309 निर्माण सदन ,सीजीओ बिल्डिंग, अरेरा हिल्स ,भोपाल;
15. निदेशक ,अनुसूचित जाति आयोग ,क्षेत्रीय कार्यालय ,फ्लेट नं 103. तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल. द्वारकापुरी पूजा गुप्ता हैदराबाद ।
    अपर मुख्य सचिव. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
16. सचिव ,मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ,भोपाल;
17. आयुक्त ,आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास ,आयुक्त ,पिछड़ा वर्ग कल्याण ,भोपाल;

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C:\Users\admin\Desktop\mops a.doc

(15) (18)

[आदिम] जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, म.प्र.शासन
35, श्यामला हिल्स, भोपाल म0प्र0 462002
email:-tribt.c@mp.nic.in
Website- www.trdi.mp.gov.in

2007 भोपाल दिनांक 18/5/07

[आवक क्रमांक]-आर्ची/2 9/07/6763
कलेक्टर/ज़ोलेक्टर

कलेक्टर
जिला-विदिशा(म.प्र.)

विषय:- मोगिया अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।
संदर्भ:- श्री कल्याण सिंह मोगिया, ग्राम-किशनपुर तहसील नटेरन जिला-विदिशा का आवेदन पत्र।

कृपया सदर्भित (छायाप्रति संलग्न) पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। [illegible] के संबंध में लेख है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 16 पर मोगिया जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति के रुप में पूरे प्रदेश के लिये अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। जिसे नियमानुसार अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले समस्त संवैधानिक लाभों की पात्रता आती है। उल्लेखनीय यह है कि अनुसूचित जाति की सूची में सरल क्रमांक 39 पर मोगिया जाति, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अधिसूचित है, जिसे अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों की पात्रता है।

[illegible] अनुसार [illegible] की पात्रता [illegible] नियमानुसार [illegible]

है कृपया नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न 19

संचालक
आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान
म.प्र. भोपाल

कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा (म0प्र0)

विदिशा, दिनांक:- 28 5/2007

पृ0क्रमांक/दप/रे.मो./2007 7234

प्रतिलिपि:-

(1) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग विदिशा
(2) उपखण्ड अधिकारी, नटेरन की ओर भेजकर आवेदक श्री कल्याण सिंह मोंगिया ग्राम किशनपुर द्वारा प्रेषित आवेदन दस्तावेज सहित आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
(3) उपखण्ड अधिकारी विदिशा, बासौदा, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, ग्यारसपुर की ओर सूचनार्थ।

23/05/07

डिप्टी कलेक्टर
कृ- वास्ते कलेक्टर, विदिशा

मध्यप्रदेश शासन
आदिमजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय
[illegible] भोपाल-[illegible] 2005
--::0::--

क्रमांक एफ 7-02/2005/25-5   भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:- "भोगिया" [illegible] अनुसूचित जनजाति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने बाबत् ।

--::0::--

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाये गये हैं कि मध्यप्रदेश के कुछ जिलों [illegible] "भोगिया" जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना बताया जा रहा है । जबकि "भोगिया" जाति को मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जनजाति [illegible] आदेश 19[illegible] की अनुसूची के सरल क्रमांक-16 पर गोंड की उपजाति के रूप में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है । "भोगिया" जाति को अनुसूचित जनजाति [illegible] के [illegible] अनुषांगिक [illegible] की पात्रता है । कृपया वस्तुस्थिति से इस विभाग को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

([illegible])
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7-02/2005/25-5   भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2005

प्रतिलिपि:- सचिव, [illegible] की ओर आपकी टीप क्र. [illegible]/2005/[illegible] के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग